

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.)राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/टीजीटी-2018/ले-1/ 2018-19

दिनांक: 8/5/2019


राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018
गैर अनुसूचित क्षेत्र

तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा लेवल प्रथम
चयन रिशफल मे वर्गवार अंतिम कट ऑफ मार्क्स

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 लेवल प्रथम अन्तर्गत विज्ञापन संख्या 01/2018 दिनांक 12.04.2018 द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा लेवल प्रथम के 19819 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित जारी कर दिनांक 14.04.2018 से 07.05.2018 तक ऑन लाईन आवेदन पत्र लिये जाकर पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277 (क) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 01.06.2018 को वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों की चयन सूची व दिनांक 10.06.2018 को जिला आवंटन की सूची जारी की गई। मुख्य चयन सूची दिनांक 01.06.2018 के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे तथा अपात्र अभ्यर्थियों के नाम हटाते हुए वर्गवार विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयन रिशफल किया गया है, चयन रिशफल में राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 लेवल प्रथम गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) के विज्ञापित पदों की संख्या तक प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के वर्गवार कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है -

CATEGORY		REET/RTET percentage	DOB
GEN	MALE	73.333	03/11/1983
	FEMALE		
	WD	ALL	-
	DIV	ALL	-
OBC	MALE	71.333	10/11/1995
	FEMALE		
	WD	ALL	-
	DIV	ALL	-
MBC	MALE	70.00	07/07/1992
	FEMALE	70.00	10/11/1992
SC	MALE	67.333	06/02/1990
	FEMALE		
	WD	ALL	-
ST	MALE	64.667	07/07/1992
	FEMALE		
SAHRIYA	MALE	ALL	-
	FEMALE		
HORIZONTAL RESERVATION			
CATEGORY			
PH	LD	68.667	02/04/1994
	BL	ALL	-
SPORTS PERSON		ALL	-
EX-SERVICE MAN		ALL	-

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल प्रथम के पद पर प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों का चयन एवं उक्त कट-ऑफ मार्क्स माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, जयपुर तथा अन्य विभिन्न न्यायालयों में उक्त भर्ती के संबंध में विचाराधीन विभिन्न न्यायिक प्रकरणों में होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।


निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा व पं. राज(प्रा.शि.)
राजस्थान बीकानेर